न्यायालय अवर न्यायाधीश प्रथम
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0— 125 सन् 2017

मु0 चंद्रावती देवी व अन्य.......वादीगण
बनाम
रूपन राय व अन्य...........प्रतिवादीगण।

दिनांकः—
16.03.2020

वादिनी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से आदेश 1 नियम 10 (2) एवं धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिनांक— 18.12.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादीगण का कथन है कि वादीगण ने यह वाद हकियत की घोषणा हेतु एवं तकरारी एराजी सिडिउल नं0 1 अर्जीनालिश पर हकियत की घोषणा एवं बैनामा को शुन्य घोषित कराने हेतु दाखिल किया है। तकरारी एराजी खाता नं0 106 सर्वे नं0 141 रकबा 1 बिगहा, 12 कठा, 11 धूर में से रकबा 10 कठा 19 धूर जमीन प्रतिवादी सं0 10, 11, 12, 13, 15, 16 ने प्रतिवादी सं0 4 सुपन राय व अमेरिकन राय के पक्ष में दिनांक 28.028.2019 को बैनामा कर दिया है। ऐसी

परिस्थिति में सुपन राय व अमेरिकन राय इस वाद में आवश्यक पक्षकार हैं। सुपन राय इस वाद में प्रतिवादी सं0 4 हैं जबकि अमेरिकन राय को पक्षकर बनाया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि पक्षकार के रूप में प्रतिवादी सं0 23 के रूप में अमेरिकन राय का नाम जोड़ने की अनुमति दी जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से इस वाद में कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद मु0 चंद्रावती देवी व अन्य के द्वारा कुल 17 प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रारंभिक तौर पर दाखिल किया गया था। बाद में वादीगण के द्वारा वादपत्र में संशोधन आदेश दिनांक 11.10.2018 एवं 26.04.2019 के द्वारा प्रतिवादी सं0 18 ता 22 को पक्षकार बनाया गया है। पुनः वादीगण के द्वारा यह आवेदन दाखिल कर अमेरिकन राय को प्रतिवादी सं0 23 आवश्यक पक्षकर के रूप में जोड़े जाने हेतु दाखिल किया गया है। वादीगण का आवेदन में कथन है कि विवादित जमीन में से 10 कठा 19 धूर जमीन प्रतिवादी सं0 4 सुपन राय एवं अमेरिकन राय के पक्ष में विकय किया गया है। वादीगण की ओर से बैनामा दिनांक 26.08.2019 श्री जगदीश प्रसाद एवं अन्य बनाम सुपन राय व श्री अमेरिकन राय अपने कथन के समर्थन में दाखिल किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिकन राय को

पक्षकर बनाये जाना न्यायहित में न्यायोचित प्रतीत होता है अतः वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 18.12.2019 को स्वीकृत किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने वादपत्र में प्रतिवादी सं0 23 के रूप में श्री अमेरिकन राय का नाम समय सीमा के भीतर शामिल करें।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक– 23.03.2020

सब जज प्रथम
सोनपुर सारण।